



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937

No. 571]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/ PHALGUNA 14, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2016

का.आ. 660(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 594 (अ), तारीख 08.03.2013 जो, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

- (i) पैरा 3 में, सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 125.760 कि.मी. (जो पंक्ति 8 में प्रकाशित हुई है) को संशोधित कर 129.470 कि.मी. किया जाता है।
- (ii) सारणी 1 और 2 के पश्चात् टिप्पणियों के बिन्दु 1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी. / चैनेज 30.500 (जयपुर जिले के बरखेड़ा, चांदलाई, के पास)	59.260
कि.मी. / चैनेज 105.000 (टोंक जिले के सोनवा के पास)	70.210

[फा सं. भाराराप्रा/13013/561/सीओ/10-11/जीसी टोंक (18.700-165.00) बीओटी]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ.सं. 594 (अ), तारीख 8 मार्च, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2016

S.O. 660(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 594(E), dated 08.03.2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

(i) In Para 3, net road section length of 125.760 km (appearing in line 14) is modified as 129.470 km.

(ii) Point 1 of Notes after Table 1 & 2 shall stand revised as under:

The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s)(chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km./Ch. 30.500 (near Barkheda, Chandlai District, Jaipur)	59.260
Km./Ch. 105.000 (near Sonva district Tonk)	70.210

[F. No. NHAI/13013/561/CO/10-11/GC Tonk (18.700 – 165.00) BOT]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide S.O. 594(E), dated 8th March.2013.